प्रेस नोट

जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 29.10.2025

▶ थाना बरौर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

▶ अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार नं0 UP 78 EN 9828 की गयी बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक 28/29.10.2025 की रात्रि में थाना बरौर पुलिस द्वारा दुर्वासा ऋषि आश्रम मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर वैगन आर कार सवार युवक को आते देख पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखते ही वह युवक कार सहित भागने का प्रयास करने लगा जिस दौरान उसकी गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया । अपने आप को पुलिस टीम से घिरा देख कर वह गाड़ी से उतर कर भागने लगा और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी तो युवक के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गया जिससे वह गिर गया और उसे हिरासत में लिया गया । पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम ऋषि कटियार पुत्र सर्वेश कटियार निवासी अंगदपुर थाना बरौर कानपुर देहात बताया जिसके विरुद्ध थाना बरौर पर मु0अ0स0 58/2025 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2) बी0एन0एस0 2023 पंजीकृत है तथा वह उक्त अभियोग में नामजद वांछित अभियुक्त है । ऋषि एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके ऊपर पूर्व में ही चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं । घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. ऋषि कटियार पुत्र सर्वेश कटियार उर्फ भाटिया निवासी अगंदपुर थाना बरौर कानपुर देहात ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2) बी0एन0एस0 2023 थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

2. मु0अ0सं0- 59/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

3. मु0अ0सं0- 181/2023 धारा 380/411/413 भादवि0 थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी।

4. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी।

5. मु0अ0सं0 375/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी।

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

2. घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार नं0 UP 78 EN 9828

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना बरौर पुलिस टीम